न्यायालय :— माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

R 4367 - II-16

प्र.क. /2016 निगरानी

योगेन्द्र कुमार नदवंशी ग्राम मझारी तहसील कोलारस जिला शिवपुरी म.प्र.

——— आवेदक

श्री S. P. Dhakad (Adv.) द्वारा आज दि 29.12.16 को प्रस्तुत

29-12-16

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

896
29-12-16

विरुद्ध

म.प्र. शासन द्वारा अपर कलेक्टर जिला शिवपुरी

——— अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अपर कलेक्टर महो. जिला शिवपुरी प्र.क. 162/स्व. निग./2013–14 में पारित आदेश दिनांक 20.04.2016 की जानकारी दिनांक 18.10.2016 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :—

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य :—

1. यह कि, प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि, भूमि सर्वे क. 497 रकवा 0.03 हे., सर्वे क. 499 रकवा 0.05 हें., सर्वे क. 500 रकवा 0.73 हें., सर्वे क. 502 रकवा 0.88 हें., सर्वे क. 513 रकवा 0.41 हें., भूमि का म.प्र. भू–दान यज्ञ बोर्ड द्वारा कृषि कार्य हेतु पट्टा ग्रहिता को पटटा प्रदान किया गया था। उक्त भूमि का जर्ये रजि. विकय पत्र से कय किया है। उक्त विकय पत्र के आधार पर विधिवत नामांतरण नियमों का पालन करते हुए नामांतरण आदेश स्वीकार किया गया। उक्त आदेश को आज दिनांक तक अपील/रीवीजन में कोई चुनौती नहीं दी गई है। केवल अंतरण संबंधी जाँच जिला स्तर पर गठित जाँच समिती द्वारा किया जाना पाया गया। उक्त भूमि के संबंध में अधीक्षक भू–अभिलेख शिवपुरी की ओर से प्रतिवेदन कार्यवाही हेतु भेंजा गया जिसके के आधार पर म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत स्वमेव निगरानी में दर्ज किया जाकर कार्यवाही प्रारंभ की गई। जिसके संबंध में आवेदक को कारण बताओ नोटिस को जारी किया गया। जिसका जबाव दिनांक 17.06.2008 को मय अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु अतिरिक्त तहसीलदार बदरवास के माध्यम से भेजा गया। आवेदक नियत दिनांक 17.06.2008 को सूचना पत्र जारी किया गया। परन्तु सूचना पत्र प्राप्त नही होने के कारण प्रकरण में अनुपस्थित हुये ओर आवेदक द्वारा प्रकरण में पटटा/अन्तरण होने संबंधी कोई प्रमाण प्रस्तुत नही किया क्योकि आवेदक के पास कोई सूचना पत्र प्राप्त नही हुआ इस कारण आवेदक के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही भी नही की गई। एवं तहसीलदार बदरवास से निर्धारित बिन्दओ पर प्रतिवेदन मगाया गया। तहसीलदारर बदरवास ने प्रकरण में उल्लेख किया

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग.-4367-दो/**2016** जिला- शिवपुरी

योगेन्द्र कुमार विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-08-19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जिला- शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 162/स्व.निगरानी/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 20.04.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुए नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-09-18 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त, जिला - ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2- पक्षकार दिनांक 10-10-19 को आयुक्त, जिला ग्वालियर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0 के0 जैन) सदस्य	